न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्याः 08/2017

दायर दिनांकः 17.05.2017

निर्णय दिनांक 07.10.2019

—:अनवानः—

श्री जोरसिंह पिता रूपसिंह जाति खरवड़ राजपूत आयु 60 वर्ष निवासी रोद का गुडा, तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

————प्रार्थी

—:बनामः—

1. श्री रामा पिता चमना जाति बलाई आयु वयस्क निवासी अण्टालिया तहसील गढबोर जिला राजसमन्द
2. श्री देवा पिता चमना जाति बलाई आयु वयस्क निवासी अण्टालिया, तहसील गढबोर जिला राजसमन्द
3. श्री छोगालाल पिता उदा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी अंटालिया, नीचली भागल तहसील गढबोर जिला राजसमन्द
4. श्रीमती सायरी बेवा चमना बलाई निवासी अटांलिया तहसील गढबोर जिला राजसमन्द

————विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्त करने अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970</u>

उपस्थितः—

1— श्री शेषमल गाडरी अधिवक्ता प्रार्थी

2— अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध विपक्षीगण के इस न्यायालय में दिनांक 10.06.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम रोद का गुडा पटवार हल्का सुखार तहसील गढबोर के खसरा नम्बर 415 रकबा 05.00 बीघा किस्म हकत तृतीय भूमि विपक्षी संख्या 01, 02 के पिता श्री चमना को उपखण्ड अधिकारी महोदय राजसमन्द द्वारा जरिये मिसल नं0 2240/77 दिनांक 10.12.1977 से विपक्षी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई। जिसके संबंध में आवंटन निरस्त कराने बाबत यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रोद का गुडा मे स्थित है। आराजी नं0 415 रकबा 10 बीघा बिलानाम भूमि स्थित है जो दोनो पास—पास सटगा होकर एक चक के रूप मे है और कूलिया भूमि के चारों और पत्थर का कोट बना इसे सुरक्षित बना रखा हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी पिछले 40 वर्षो से काबिज होकर साधिकार पूर्वक उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। सिचांई हेतु आराजी नं0 415 मे एक कुआ भी आज से 30 वर्षो पूर्व खुदवाया व इसे पुरा पक्का बंधवाया इसी कुए के पास एक मकान का निर्माण भी करवाया और प्रार्थी के नाम पर विधुत संबंध भी स्थापित है। उक्त भूमि पर जाने हेतु रास्ता उबड खाबड था प्रार्थी ने लाखों रूपये व्यय कर मुख्य सडक से उक्त भूमि तक कच्चे रास्ते को समतल करा दुरूस्त करवाया गया । उक्त भूमि पर प्रार्थी का वर्षो पूर्व नाजायज कब्जा की कार्यवाही कर प्रार्थी वर्षो से

पेनाल्टी जमा करवा रहा है। आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व जिन शर्तो पर आवंटन किया गया था व आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो की न तो आवंटी ने पालना की, न ही आवंटन शर्तो के अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा आधिपत्य प्राप्त किया। न ही उक्त भूमि पर आवंटी या उसके वारिसान ने कभी काश्त की और न ही आंवटी का आवंटन के पूर्व या आवंटन के पश्चात इस भूमि पर कभी कब्जा ही रहा है। इस लिए उक्त आवंटन को निरस्त फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का भी प्रार्थना पत्र पेश किया तथा निवेदन किया है कि उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को पूर्व मे नही थी कुछ समय पूर्व विपक्षीगण ने जबरन भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जिसे प्रार्थी ने बडी मुसकील से रोका। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने कहा कि उक्त भूमि उनके पिता को आवंटन हुई है तथा विपक्षी संख्या 3 ने कहा कि उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 से क्रय की है इसके पश्चात प्रार्थी ने सम्पूर्ण नकले प्राप्त की व आवंटन निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जो तारीख जानकारी से अन्दर मयाद है। न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र को अन्दर मयाद शुमार फरमाया जावें तथा मयाद कण्डोन की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गयी व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विपक्षी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को शुरू से थी विपक्षीगण का कब्जा जब आवंटन हुआ है तब से चला आ रहा है। चमना की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस विपक्षीगण का तथा विक्रय के पश्चात क्रेता/विपक्षी संख्या 3 का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी को शुरू से आवंटन की जानकारी थी तथा प्रार्थी ने जानबुझ कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना पत्र अवधि मे लाने हेतु नये सिरे से दस्तावेज निकला कर यह दरखास्त पेश की है जो अवधि बार होने से काबिल निरस्त योग्य है। आवंटन अधिकारी ने किसी प्रकार का विधि विरूद्ध आदेश नहीं दिया है। जिसे चुनौदी दी जा सकें। अन्त मे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

दोहराने सुनवायी विपक्षीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बताया कि आराजी नं0 415 रकबा 10 बीघा बिलानाम भूमि स्थित है जो दोनो पास–पास सटमा होकर एक चक के रूप मे है और कूलिया भूमि के चारों और पत्थर का कोट बना इसे सुरक्षित बना रखा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी पिछले 40 वर्षो से काबिज होकर साधिकार पूर्वक उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। सिचांई हेतु आराजी नं0 415 मे एक कुआ भी आज से 30 वर्षो पूर्व खुदवाया व इसे पुरा पक्का बंधवाया इसी कुए के पास एक मकान का निर्माण भी करवाया और प्रार्थी के नाम पर विधुत संबंध भी स्थापित है। उक्त भूमि पर जाने हेतु रास्ता उबड खाबड था प्रार्थी ने लाखों रूपये व्यय कर मुख्य सडक से उक्त भूमि तक कच्चे रास्ते को समतल करा दुरूस्त करवाया गया । उक्त भूमि पर प्रार्थी का वर्षो पूर्व नाजायज कब्जा की कार्यवाही कर प्रार्थी वर्षो से पेनाल्टी जमा करवा रहा है। आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व जिन शर्तो पर आवंटन किया गया था व आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो की न तो आवंटी ने पालना की, न ही आवंटन शर्तो के अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा आधिपत्य प्राप्त किया। न ही उक्त भूमि पर आवंटी या उसके वारिसान ने कभी काश्त की और न

ही आंवटी का आवंटन के पूर्व या आवंटन के पश्चात इस भूमि पर कभी कब्जा ही रहा है। इस बात की पुष्टि तहसीलदार गढबोर द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत की गयी मौका पर्चा रिपोर्ट से होती है, कि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा आधिपत्य नहीं है। प्रार्थी इस जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। विपक्षी छोगालाल ने प्रार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवायी है। क्योंकि मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा है। प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 के कार्यवाही भी तहसीलदार, गढबोर द्वारा की गयी है। जिससे भी प्रार्थी का कब्जा होना प्रमाणित है। इस लिए उक्त आवंटन को खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन विचार किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में आवंटी को आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने की पुष्टि पटवार हल्का एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा बनाया गया पर्चे मौके से होती है। पर्चे मौके अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा कुआ खोद कर एवं एक छोटे कमरे का निर्माण कर कब्जा करना प्रमाणित पाया है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा नहीं होना प्रमाणित होता है। उक्त पर्चे मौके की रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि पर आवंटि एवं उसके उत्तराधिकारी का कब्जा आधिपत्य नही है। जबकि आवंटन की शर्तो के अनुसार मौके पर कब्जा आवंटी का होना आवश्यक है तथा उसे काश्त योग्य विकसित करना भी आवंटन की शर्तो के अनुसार आवश्यक था। मौके पर उक्त भूमि पर काश्त नहीं की जा रही है। इस प्रकार आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। इसलिए उक्त आवंटन को निरस्त करना हम उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा करना भी पाया जाता है। इसलिए तहसीलदार, गढबोर को उक्त भूमि के संबंध में राजस्था भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही भी करने के निर्देश दिया जाना न्यायोचित है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद के द्वारा दिनांकः 10.12.1977 को चमना पिता रता बलाई को मिसल संख्या 2240/1977 के जरिये आवंटित तहसील गढबोर के ग्राम रोद का गुडा पटवार हल्का सुंखार स्थित आराजी नम्बर 415 रकबा 05.00 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के आवंटन को खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार गढबोर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर, उक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण के संबंध मे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी उक्त आदेश की प्रति के साथ लौटायी जावें एवं तहसीलदार, गढबोर को भी निर्णय प्रति पालना हेतु प्रेषित की जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 07.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद